रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2019/श्रावण 25, 1941
No. 464] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2019/SHRAVANA 25, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 574(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में, नियम 4 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के उप नियम (1) में,-

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) कंपनी के विशिष्ट अधिकारों वाले शेयरों के बारे में मताधिकार, किसी समय विशेष पर जारी विशिष्ट अधिकारों वाले इक्विटी शेयरों के संबंध में इसके मताधिकार सहित कुल मताधिकार के चौहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;";

(ii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा।

3. मूल नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के स्पष्टीकरण में, दोनों स्थानों पर आने वाले "निदेशक" शब्द के स्थान पर "निदेशक अथवा कंपनी सचिव" शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल नियमों के नियम 12 के उपनियम (1) के परंतुक के स्पष्टीकरण में –

(i) "औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी तारीख 17 फरवरी, 2016 की सा.का.नि. 180(अ)" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी तारीख 19 फरवरी, 2019 की सा.का.नि. 127(अ)," अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

(ii) "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल नियमों के नियम 18 के उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7) कंपनी 31 मार्च को समाप्त होने वाले अगले वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले डिबेंचरों के संबंध में डिबेंचर शोधन आरक्षिति (डिबेंचर शोधन आरक्षिति) और निवेश या जमा राशि की अपेक्षाओं का अनुपालन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार करेगी :-

(क) डिबेंचर शोधन आरक्षिति का सृजन, लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभ में से किया जाएगा;

(ख) यथास्थिति, डिबेंचर शोधन आरक्षिति और निवेश या जमा, की पर्याप्तता के संबंध में सीमाएं निम्नलिखित होंगी -

(i) सार्वजनिक और निजी रूप से रखे गए डिबेंचरों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंककारी कंपनियों द्वारा विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी डिबेंचरों के लिए डिबेंचर शोधन आरक्षिति अपेक्षित नहीं है;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (2) के खंड (72) के अर्थान्तर्गत अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए डिबेंचर शोधन आरक्षिति, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समान लागू होगी।

(iii) सूचीबद्ध कंपनियों के लिए (उपखंड (i) में यथानिर्धारित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान और बैंककारी कंपनियों से भिन्न), निम्नलिखित मामलों में डिबेंचर शोधन आरक्षिति अपेक्षित नहीं है -

(अ) डिबेंचरों के पब्लिक इश्यू के मामले में -

क. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक में रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और राष्ट्रीय आवासीय बैंक में रजिस्ट्रीकृत आवासीय वित्तीय कंपनियों के लिए;

ख. अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के लिए;

(आ) निजी रूप से रखे गए डिबेंचरों के मामले में, उप-मद क और ख में विनिर्धारित कंपनियों के लिए।

(iv) असूचीबद्ध कंपनियों (उपखंड (i) में यथा-विनिर्दिष्ट अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकिंग कंपनियों से भिन्न) के लिए –

(अ) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक में रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए और राष्ट्रीय आवास बैंक में रजिस्ट्रीकृत आवास वित्तीय कंपनियों के लिए, निजी रूप से रखे गए डिबेंचरों के मामले में कोई डिबेंचर शोधन आरक्षिति अपेक्षित नहीं है।

(आ) अन्य असूचीबद्ध कंपनियों के लिए, डिबेंचर शोधन आरक्षिति की पर्याप्तता, बकाया डिबेंचरों के मूल्य का दस प्रतिशत होगी;

(v) यदि कोई कंपनी खंड (ख) के उप-खंड (iii) की मद (क) अथवा मद (ख) या खंड (ख) के उपखंड (iv) की मद (ख) में कवर की गई है, तो वह प्रत्येक वर्ष में अप्रैल के 30वें दिन अथवा इससे पूर्व खंड (ख) के उपखंड (iii) की मद (क) अथवा मद (ख) या खंड (ख) के उपखंड (iv) की मद (ख) में कवर की गई किसी कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों के संबंध में, रकम उपखंड (vi) में यथा-उपबंधित किसी एक अथवा एक से अधिक रीतियों में आगामी वर्ष के मार्च माह के 31वें दिन को समाप्त हो रहे उस वर्ष के दौरान परिपक्व हो रहे अपने डिबेंचरों की रकम का कम से कम पंद्रह प्रतिशत, यथास्थिति निवेश अथवा निक्षेप करेगी :

परंतु यथास्थिति निवेशित अथवा निक्षेपित शेष रकम, उस वर्ष के मार्च माह के 31वें दिन की समाप्ति पर उस वर्ष के दौरान परिपक्व हो रहे डिबेंचरों की रकम का किसी भी समय पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(vi) उपखंड (v) के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, निक्षेपों अथवा निवेशों की रीतियां निम्नानुसार हैं :

(अ) किसी अनुसूचित बैंक में निक्षेपों में, धारण के किसी प्रभार से मुक्त;

(आ) केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की भारमुक्त प्रतिभूतियों में;

(इ) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के उप-खंड (क) से (घ) और उप-खंड (ङ) में वर्णित भारमुक्त प्रतिभूतियों में;

(ई) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के उप-खंड (च) के अधीन अधिसूचित किसी अन्य कंपनी द्वारा जारी भारमुक्त बांड में :

परंतु यथोपरोक्त निवेशित अथवा निक्षेपित रकम का उपयोग ऊपर संदर्भित वर्ष के दौरान परिपक्व हो रहे डिबेंचरों के शोधन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में, इस उपनियम के अनुसार डिबेंचर इश्यू के अपरिवर्तनीय भाग के संबंध में डिबेंचर विमोचन आरक्षिति का सृजन किया जाएगा।

(घ) डिबेंचर विमोचन आरक्षिति में जमा रकम कंपनी द्वारा डिबेंचर विमोचन के प्रयोजन के सिवाय उपयोग में नहीं लाई जाएगी।

[फा. सं. 01/04/2013-सीएल.V-भाग-III]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.265(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 के उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 434(अ) तारीख 7.5.2018 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए।

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2019

G.S.R. 574(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, in rule 4 (hereinafter referred to as the principal rules), in sub-rule (1), -

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) the voting power in respect of shares with differential rights of the company shall not exceed seventy four per cent. of total voting power including voting power in respect of equity shares with differential rights issued at any point of time;" ;

(ii) clause (d) shall be omitted.

3. In the principal rules, in rule 5, in sub-rule (3), in the Explanation, occurring at both the places, for the word "director", the words "director or company secretary" shall be substituted.

4. In the principal rules, in rule 12, in sub-rule (1), in proviso to Explanation, –

(i) for the letters, figures, brackets and words "G.S.R. 180(E), dated 17th February, 2016 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion" the letters, figures, brackets and words "G.S.R. 127(E), dated 19th February, 2019 issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade" shall be substituted. ;

(ii) for the words "five years", the words "ten years" shall be substituted.

5. In the principal rules, in rule 18, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(7) The company shall comply with the requirements with regard to Debenture Redemption Reserve (DRR) and investment or deposit of sum in respect of debentures maturing during the year ending on the 31st day of March of next year, in accordance with the conditions given below:-

(a) Debenture Redemption Reserve shall be created out of profits of the company available for payment of dividend;

(b) the limits with respect to adequacy of Debenture Redemption Reserve and investment or deposits, as the case may be, shall be as under;-

(i) Debenture Redemption Reserve is not required for debentures issued by All India Financial Institutions regulated by Reserve Bank of India and Banking Companies for both public as well as privately placed debentures;

(ii) For other Financial Institutions within the meaning of clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013, Debenture Redemption Reserve shall be as applicable to Non –Banking Finance Companies registered with Reserve Bank of India.

(iii) For listed companies (other than All India Financial Institutions and Banking Companies as specified in sub-clause (i)), Debenture Redemption Reserve is not required in the following cases -

(A) in case of public issue of debentures –
A. for NBFCs registered with Reserve Bank of India under section 45-IA of the RBI Act, 1934 and for Housing Finance Companies registered with National Housing Bank;
B. for other listed companies;

(B) in case of privately placed debentures, for companies specified in sub-items A and B.

(iv) for unlisted companies, (other than All India Financial Institutions and Banking Companies as specified in sub-clause (i)) -

(A) for NBFCs registered with RBI under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and for Housing Finance Companies registered with National Housing Bank, Debenture Redemption Reserve is not required in case of privately placed debentures.

(B) for other unlisted companies, the adequacy of Debenture Redemption Reserve shall be ten percent. of the value of the outstanding debentures;

(v) In case a company is covered in item (A) or item (B) of sub-clause (iii) of clause (b) or item (B) of sub-clause (iv) of clause (b), it shall on or before the 30th day of April in each year, in respect of debentures issued by a company covered in item (A) or item (B) of sub-clause (iii) of clause (b) or item (B) of sub-clause (iv) of clause (b), invest or deposit, as the case may be, a sum which shall not be less than fifteen per cent., of the amount of its debentures maturing during the year, ending on the 31st day of March of the next year in any one or more methods of investments or deposits as provided in sub-clause (vi):

Provided that the amount remaining invested or deposited, as the case may be, shall not at any time fall below fifteen percent. of the amount of the debentures maturing during the year ending on 31st day of March of that year.

(vi) for the purpose of sub-clause (v), the methods of deposits or investments, as the case may be, are as follows:—

(A) in deposits with any scheduled bank, free from any charge or lien;

(B) in unencumbered securities of the Central Government or any State Government;

(C) in unencumbered securities mentioned in sub-clause (a) to (d) and (ee) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882;

(D) in unencumbered bonds issued by any other company which is notified under sub-clause (f) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882:

Provided that the amount invested or deposited as above shall not be used for any purpose other than for redemption of debentures maturing during the year referred above.

(c) in case of partly convertible debentures, Debenture Redemption Reserve shall be created in respect of non-convertible portion of debenture issue in accordance with this sub-rule.

(d) the amount credited to Debenture Redemption Reserve shall not be utilized by the company except for the purpose of redemption of debentures."

[F. No. 01/04/2013-CL-V- Part-III]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 265(E), dated 31st March, 2014 and which was last amended vide Notification No. GSR 434(E) dated 7.05.2018.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.08.17 11:39:58 +05'30'